92

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3792–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–5–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 167/अपील/2009–10.

.....

1–श्री सुखदेव आ0 श्री गोपाल

2–श्री देवास आ0 श्री गोपाल

3–रामकली आ0 श्री गोपाल

समस्त तीनों निवासी ग्राम धामन्या तहसील भैंसदेही,

जिला बैतूल म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–बाबूलाल आ0 श्री चन्दन कोरकू

2–भूता आ0 श्री आहू कोरकू

दोनों निवासी ग्राम धामन्या तहसील भैंसदेही

जिला बैतूल

..... अनावेदकगण

.....

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक–आवेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 20/3/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.5.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम धामन्या स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 97 रकबा 2.411 हेक्टेयर अनावेदकगण के पूर्वजों की भूमि है जिस पर आवेदकगण द्वारा दुर्भवना पूर्वक सॉठगॉठ कर अपने पक्ष में नामान्तरण करा लिया गया है एवं अनावेदकगण आदिवासी है और आवेदकगण गैर–आदिवासी है, अतः अभिलेख में सुधार किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 27–11–2000 को आदेश पारित कर अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–6–2005 को अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23–5–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये गये तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को संहिता की धारा 170 के अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर विधिवत् आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचना करते हुये सकारण आदेश पारित किया गया है और अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि वर्तमान प्रकरण में संहिता की धारा 170 लागू नहीं होती है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण तहसील न्यायालय में यह प्रमाणित नहीं कर सके हैं कि आवेदकगण द्वारा दुर्भावना पूर्वक प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नाम दर्ज करा लिया गया है । इस कारण तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् आदेश पारित किये गये थे,

जिन्हें निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक पक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अभी अनुविभागीय अधिकारी को केवल संहिता की धारा 170 के अन्तर्गत सुनवाई कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा परिलक्षित नहीं होती है । चूँकि अनुविभागीय अधिकारी को अपर आयुक्त के आदेश के पालन में कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण करना है, जहॉ आवेदकगण को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.5.2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर